रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 37
No. 72] DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936 [N.C.T.D. No. 37

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## वित्त (राजस्व-I) विभाग
## अधिसूचना

दिल्ली, 28 मई, 2014

**सं. एफ. 10(2)/वित्त (राजस्व-I)/12-13/डीएस-VI/472.**— दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ:**—

(1) ये नियम दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2014 कहे जायेंगे ।

(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगें।

**नियम 152 का संशोधन:**— दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152 के उपनियम (1) के खंड (iii) की तालिका में क्रम संख्या-3 के पश्चात् निम्नलिखित सन्निविष्ट किया जायेगा ।
"

| | |
|---|---|
| 4 बीयर तैयार करने तथा छोटी मद्यनिर्माणशाला (माईक्रोबेवरी) पर बेचना | 40/- रुपये प्रति बल्क लीटर " |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रवीन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI (वित्त)

## FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 28th May, 2014

**No. F. 10(2)/Fin(Rev-I)/2012-13/dsVI/472.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**- (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2014.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

**Amendment of rule 152.**— In the Delhi Excise Rules, 2010 in rule 152 in sub rule (1) in clause (iii) in the Table after Sr No.3. the following shall be inserted namley:—
"

| | |
|---|---|
| 4 Beer manufactured and sold at microbrewery | Rs. 40/ per bulk litre |

"

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

**परिवहन विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 28 मई, 2014

**सं फा. 10(118)/एस/एसटीए/परिवहन/2013/106.**—मोटर वाहन अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा 89 की उपधारा (2) धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सहर्ष राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्री वी.के. महेश्वरी, पीठासीन अधिकारी, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सहित तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पुनीत के. गोयल, सचिव (परिवहन)

**TRANSPORT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th May, 2014

**No. F. 10(118)/AS/STA/Tpt./2013/106.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 89 read with clause (41) of section 2 of The Motor Vehicles Act 1988, (59 of 1988), the Lieutnant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to constitute a State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Shri V.K. Maheshwari, Presiding Officer, Delhi School Tribunal, Government of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
PUNEET K. GOEL, Secy. (Transport)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.